न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास उर्मिला राजोरिया आई0 ए0 एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 66/2020/अपील/एल.आर.एक्ट/केम्प कोर्ट–बूंदी
दायरा दिनांक 7.8.2020
किस्म अपीलः अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उनवान

हिम्मत सिंह आ0 गजराज सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम एबरा तहसील व जिला बून्दी (राज0)।

.....अपीलार्थी

बनाम

1. किशन लाल आ0 जगन्नाथ जाति मीणा निवासी ग्राम एबरा तहसील व जिला बून्दी राज0।
2. आवंटन परामर्श दात्री समिति जरिये तहसीलदार बून्दी ।

.....रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री रामदत्त शर्मा, – अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री रामकैलाश नागर –अभिभाषक रेस्पो0 कम–1
पेरोकार सरकार – रेस्पो0 कम–2

:: निर्णय ::

दिनांक 12.4.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मिसल संख्या 119/प्रा0 पत्र/2016 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 22 राजस्थान कॉलोनाईजेशन (चम्बल प्रोजेक्ट गवर्मेन्ट, एलॉटमेंट एवं सेल रूल्स 1957) बउनवान हिम्मत सिंह बनाम किशन लाल वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 6.12.2016 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

2 अपील के तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन परामर्शदात्री समिति मुकाम ग्राम नयागांव द्वारा दिनांक 4.11.1977 को किशनलाल आ0 जगन्नाथ जाति मीणा निवासी ग्राम ऐबरा को ग्राम ऐबरा की आवंटित भूमि खसरा संख्या 101 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 108 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा को निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थी/अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 22 राज0 कोलोनाईजेशन (चम्बल प्रोजेक्ट गर्वमेन्ट अलोटमेंट एण्ड सेल रूल्स, 1957) के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 6.12.2016 से खारिज कर दिये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश कर वर्णित किया कि आवंटन के समय रेस्पो0 कम–1 आवंटन का पात्र नही था तथा वह भूमिहीन कृषक भी नही था। जिसकी पुष्टि तहसीलदार बूंदी द्वारा जिला कलक्टर बूंदी को प्रेषित प्रार्थना पत्र से होती है। रेंपों0 कम 1 द्वारा आवंटन समिति को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र,

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

शपथ पत्र मे स्वयं के पास की भूमि एंव उसके पिता के पास की भूमि का उल्लेख नही कर तथ्यों को छिपाते हुये प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गोर नही किया। इस तथ्य पर भी गोर नही किया कि तह0 बूंदी द्वारा दिनांक 8.2.2016 को उपखण्ड अधिकारी बूंदी को भेजी गई कार्यवाही दिनांक 8.2.2016 से भी रेस्पो0 क्रम–1 का आवंटित भूमि पर कभी कब्जा नही होना तथा आवंटन शर्तो की पालना नही किया जाना स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। आवंटन के पश्चात प्रथम वर्ष मे व उसके पश्चात 2–3 वर्षो मे कभी भी आवंटी का कब्जा नही रहा। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गोर नही किया कि रेस्पो0 क्रम–1 आवंटन के समय सद्भावी कृषक नही था तथा उसने आवंटन का आरक्षित मूल्य भी जमा नही कराया तथा आवंटन आदेश मे कोरम भी पूरा नही था ऐसी स्थिति मे कोरम के अभाव मे किया गया आवंटन अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त भूमि पर अपीलांट के पूर्वजो के समय से ही अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है। उपरोक्त तथ्यो पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही कर जेरअपील निर्णय पारित किया है जो कानून के वैधानिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 6.12.2016 एंव आवंटन आदेश दिनांक 4.11.1977 निरस्त करने की इस्तदुआ की गई।

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन/नोटिस आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

4 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि वक्त आवंटन रेस्पो0 क्रम–1 आवंटन का पात्र नही था क्योकि वह भूमिहीन नही था। आवंटन सलाहकार समिति को प्रस्तुत आवेदन पत्र मे भी स्वयं के पास तथा पिता के पास की भूमि होने संबधी तथ्यों को छिपया गया जिसकी पुष्टि तहसीलदार बूंदी द्वारा जिला कलक्टर बूंदी को प्रेषित प्रार्थना पत्र एव दिनांक 8.2.2016 को उपखण्ड अधिकारी बूंदी को भेजी गई कार्यवाही से होती है। रेस्पो0 क्रम–1 का आवंटित भूमि पर कभी कब्जा नही रहा तथा उसके द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की गई। उसके द्वारा आरक्षित मूल्य भी जमा नही कराया गया। आवंटन आदेश मे कोरम भी पूरा नही था ऐसी स्थिति मे कोरम के अभाव मे किया गया आवंटन अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। बहस मे आगे यह भी बतायां कि अपीलांट के पूर्वजो के समय से ही अपीलांट का उक्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। उपरोक्त सभी तथ्य पत्रावली पर मौजूद थे जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना निर्णय पारित कर कानूनी व वैधानिक त्रुटि की है। अन्त मे अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

5 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 ने अपनी बहस मे तर्क प्रस्तुत किया कि आवंटी रेस्पो0 क्रम–1 अनुसूचित जन जाति का भूमिहीन कृषक है। आवंटी ने आवेदन पत्र मे कोई तथ्य नही छिपाया। आवंटन पूर्णतया वैधानिक है। जिसमे किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नही है क्योंकि आवंटन सलाहकार समिति ने सभी तथ्यों की जांच कर पात्र होने पर भूमि का आवंटन किया है। आवंटन शर्तो की पालना की है। आवंटन के समय आंवटित भूमि पर आवंटी रेस्पो0 क्रम–1 का कब्जा था एव वर्तमान मे भी आवटी का ही कब्जा है। जिसकी पुष्टि दखलनामा एंव फर्द मौका दिनांक 16.6.2016 तथा खसरा गिरदावरी संवत् 2071–2074 से होती है। आवंटित भूमि को अपीलांट को अधोली पर खेती करने हेतु दिया गया था किन्तु अपीलार्थी द्वारा उसका कब्जा होना बताया है जो गलत है। कानूनन सर्वण जाति के व्यक्ति द्वारा बलपूर्वक अनुसूचित जन

जाति के व्यक्ति गैरखातेदार/रेस्पो0 कम–1 की भूमि पर कब्जा कर लिया जाता है तो अवैध अतिकमी की श्रेणी मे आता है तथा ऐसे अतिकमी के विरूद्ध राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) के तहत कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो पर आधारित होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। बहस मे यह भी बताया कि आवंटी गैर खातेदार के विरूद्ध अपीलार्थी को कार्यवाही प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है। अंत मे अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

6. रेस्पो0 कम–2 की ओर से पैरोकार सरकार ने कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया आवंटन विधिसम्मत है। मुताबिक रेकार्ड आवंटी को गैरखातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। प्रश्नगत भूमि का आवंटन 4.11.1977 को किया गया है जिसे लगभग 46 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है ऐसी स्थिति मे 46 वर्ष बाद आवंटन को निरस्त करने का कोई ठोस आधार नही है। बहस मे यह भी बताया कि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन आदेश दिनांक 4.11.1977 को निरस्त कराने हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे कार्यवाही 27.2.2017 को लगभग 39 वर्ष बाद पेश की गई जिसका कोई औचित्य नही है। अतः अपील निरस्त की जावे।

7 हमने अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेखो का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किय पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख से स्पष्ट होता है कि आवंटन परामर्शदात्री समिति मुकाम ग्राम नयागांव द्वारा दिनांक 4.11.1977 को किशनलाल आ0 जगन्नाथ जाति मीणा निवासी ग्राम ऐबरा को ग्राम ऐबरा को आवंटित भूमि खसरा संख्या 101 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 108 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा का आवंटन किया गया है।

8 पत्रावली पर उपलब्ध दखलनामा से तत्समय आवंटी रेस्पो0 कम–1 को कब्जा संभलाये जाने की पुष्टि होती है अतः प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलार्थी का यह तर्क कि आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा नही रहा उचित प्रतीत नही होता है। नकल जमाबंदी सं0 2071–2074 से आवंटी रेस्पो0 कम–1 गैरखातेदारी मे दर्ज रेकार्ड है तथा खसरा गिरदावरी सं0 2071–2074 के अवलोकन से गैरखातेदार रेस्पो0 कम–1 का प्रकरणाधीन आराजी पर सोयाबीन एंव गैहूँ आदि की फसल काश्त किया जाना प्रकट है। मौका फर्द दिनांक 16.6.2016 से भी आवंटी का कब्जा होना प्रमाणित है इससे यह स्पष्ट होता है कि आवंटी गैर खातेदार का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त रहा है एंव उसके द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की गई है।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

9 जहां तक आवंटन सलाहकार समिति के कोरम का प्रश्न है इस संबध मे कई न्यायिक विनिश्चियों मे यह प्रतिपादित किया जा चुका है कि मात्र तकनीकि आधार पर लम्बे समय पश्चात आवंटन निरस्त नही किया जा सकता। अपील विषयक भूमि का आवंटन रेस्पो0 कम–1 किशनलाल को दिनांक 4.11.1977 को किया गया है। जिसे निरस्त कराने हेतु अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र दिनांक 27.2.2017 को लगभग 39 वर्ष बाद पेश किया गया तथा रेस्पा0 कम 1 को भूमि के आवंटन आदेश दिनांक 4.11.1977 को वर्तमान मे 46 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है ऐसी स्थिति मे 46 वर्ष बाद आवंटन को निरस्त करने का कोई ठोस एंव न्यायोचित आधार पत्रावली मे उपलब्ध नही है। मुताबिक राजस्व रेकार्ड उक्त भूमि

रेस्पो0 कम–1 की गैर खातेदारी मे दर्ज है, वैसे भी कानूनन 10 वर्ष पश्चात गैर खातेदार, खातेदारी का स्वतः ही पात्र हो जाता है।

10 प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलार्थी ने विषयक आराजी पर अपना कब्जा होने का कथन किया है किन्तु अपीलार्थी द्वारा अपने पुराने कब्जे बावत कोई दस्तावेजी सबूत प्रकरण मे प्रस्तुत नही किये गये, जिससे उसका पुराना कब्जा साबित हो। वैसी भी अपीलार्थी का यदि विवादित भूमि पर कभी कब्जा रहा है तो उसकी हैसियत मात्र अतिक्रमी की है और अनुसूचित जान जाति के व्यक्ति की गैर खातेदारी की भूमि पर सवर्ण जाति के ऐसे अतिक्रमी के विरूद्ध राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए थी।

11 यहा यह तथ्य भी विवेचनीय है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार आवंटी के अधिकार अतिक्रमी के अधिकारों से सदैव श्रेष्ठ है। ऐसी स्थिति मे विधिक रूप से अपीलांट को वादग्रस्त भूमि पर कोई हक एंव अधिकार प्राप्त नही होते है। अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करना राज्य सरकार का दायित्व है। ऐसी स्थिति तहसीलदार बूंदी को राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) के तहत अवैध अतिक्रमी के विरूद्ध तत्काल नियमानुसार कार्यवाही की जाना अपेक्षित था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे तथ्यों का समुचित परीक्षण कर आलौच्य जेरअपील निर्णय दिनांक 6.12.2016 पारित किया है जिसमे हम किसी प्रकार का विधिक एंव तथ्यात्मक दोष नही पाते है। परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

12 निर्णय आज दिनांक 12.4.2024 को मेरे द्वारा केम्प–कोर्ट बूंदी मे लिखवाया/टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(उर्मिला राजोरिया)
संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा